उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 99/2020/2242/ छप्पन-2020-06/2013
लखनऊ, दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2117/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को व्याख्याता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/- (रूपए इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गई है। श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या:-107/2019/2166/छप्पन-2019-06/2013 दिनांक 14 नवम्बर, 2019 द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2020 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् दिनांक 06 जनवरी, 2021 तक) के लिए बढ़ायी गई थी।

2- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 पर सम्यक विचारोपरान्त प्रवक्ता (विद्युत) के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2021 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् 06 जनवरी, 2022 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 67,218.00/- (रूपए सरसठ हजार दो सौ अठ्ठारह मात्र) एवं अनुमन्य पारिश्रमिक वृद्धि (यथा समय) पर बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(डॉ सत्य प्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी,
प्रवक्ता (विद्युत),
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।